न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2014-00083RAAJodhpur2014-51RTA223 Punaram Vs Karnaram etc

पुनाराम पुत्र श्री खानुराम, जाति विश्नोई, निवासी- विष्णुनगर, लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलार्थ ...

ब

ना

म

1. करनाराम पुत्र जीवराजराम
2. भागीरथराम पुत्र जीवराजराम के कायम मुकामः -
   2.1. दिनेश पुत्र स्व. भागीरथराम
   2.2. प्रदीप पुत्र स्व. भागीरथराम
   2.3. भीखादेवी पत्नी स्व. भागीरथराम
   जाति विश्नोई, निवासी- विष्णुनगर, लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
3. सुखाराम पुत्र सुरजनराम
4. बाबुराम पुत्र सुरजनराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम दुग्गर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. सुगनाराम पुत्र खानुराम
6. सुखराम पुत्र खानुराम
7. मानीदेवी पत्नी खानुराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- विष्णुनगर, लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
8. मोहनीदेवी पुत्री खानुराम पत्नी स्व. हड़मानराम, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम थाटानगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
9. कमला पुत्री खानुराम पत्नी रामाकिशन जी, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम मोडकिया, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
10. बगडुराम पुत्र राजुराम
11. बाबुराम पुत्र राजुराम
12. हरचंदराम पुत्र राजुराम
13. मोहनीदेवी पत्नी भागीरथराम
14. कैलाश पुत्र भागीरथराम
15. बनवारी पुत्र भागीरथराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या 14 व 15 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मोहनीदेवी पत्नी भागीरथराम
16.घमुराम पुत्र राजुराम
17.जेतीदेवी पत्नी श्री दाणुराम
18.सोमराज पुत्र राणुराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जेतीदेवी पत्नी दाणुराम
19.मोहनराम पुत्र राजुराम
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम डाबर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
20.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2014 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 21/2010 करनाराम बनाम सुखाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या चार से छः
श्री प्रेम कुमार विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या बीस

नि र्ण य

दिनांक : 20 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2010 अनवान करनाराम बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2014 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2014 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 303 कुल रकबा 125.04 बीघा ग्राम रूपाणा-जेताणा के संबंध में धारा 53

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलांट ने हस्तगत वाद में अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता श्री गोपाल विश्नोई को अपना वकील मुकर्रर किया था, लेकिन उनका इस मामले के विचाराधीन रहते इस राजीनामे से पूर्व ही देहांत हो गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पुनः नोटिस जारी किये बिना उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा कुछ पक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी किये जाने में कानूनी भूल की है, क्योंकि जब तक सभी सहखातेदारान् के मध्य राजीनामा पेश तथा तस्दीक नहीं किया जाता, तब तक राजीनामे से किसी वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री जारी की है। उक्त नक्शे में जहां पर वादीगण का कब्जा काश्त बताया गया है, वहां पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा उसकी रहवासीय ढाणी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना तथा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2014 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा एवं उसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में पक्षकारान् के मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वार अपीलांट पर समयक तामील करवायी गई, फिर भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। कानूनन राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट का कथन है कि उनके अधिवक्ता श्री गोपाल विश्नोई का दौरान वाद देहांत हो गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत राजनीमा पर अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षरों का अभाव है। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा प्रस्तुति के वक्त अपीलांट/प्रतिवादी संख्या तीन की उपस्थिति सूनिश्चित किये बिना तथा राजीनामा पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं राजीनामा की भावना के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 21/2010 अनवान करनाराम बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2014 निरस्त किये जाकर मामला विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर